न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत गोलाकाबास

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/171/13

अनुवान– कुशाल पुत्र टुण्डाराम जाति बैरवा निवासी बिरकडी तहसील राजगढः– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ :– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

24.05.2018ः–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 1952/0.88 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 23.07.2013 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.09.2013 तक के लिये मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई, तथा अप्रार्थीगण को नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये।

अप्रार्थी की और से पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया हुआ है। जवाब मे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को अस्वीकार करते हुऐ प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

मैने पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2035–39 मिलान क्षेत्रफल व हाल जमाबंदी का भी अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से प्रकरण मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार करते हुऐ विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखने तक अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है। अतः–

आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं. 1952/0.88 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थीगण को दावे के निर्णय तक अन्तरिम अस्थाई निषधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी विवादित की मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोलाकाबास तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत गोलाकाबास